

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2593]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2013/कार्तिक 21, 1935

No. 2593]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2013/KARTIKA 21, 1935

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2013

का.आ. 3433(अ).—जबकि, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23क की उप-धारा (1) के तहत 23 अगस्त, 2013 को वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2592(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने, क्रमशः केनरा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित प्रगति ग्रामीण बैंक और कृष्णा ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का सम्मेलन करके **केनरा बैंक** के प्रायोजकत्व में एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नामतः '**प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक**', जिसका प्रधान कार्यालय '**बेल्लारी**' में होगा, अधिसूचित किया है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, निदेश देती है कि 23 अगस्त, 2013 से प्रगति ग्रामीण बैंक और कृष्णा ग्रामीण बैंक, जो सम्मेलन के परिणामस्वरूप कार्य करना समाप्त कर चुके हैं, भंग हुए माने जाएंगे और यह उक्त अधिनियम की धारा 26 में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा।

[फा. सं. 1/5/2011-आरआरबी]

अरविन्द कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2013

S.O. 3433(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services, number S.O. 2592(E), dated the 23rd August, 2013, issued under sub-section (1) of Section 23 A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government has notified for amalgamation of Pragathi Gramin Bank and Krishna Grameena Bank (Regional Rural Banks) sponsored by the Canara Bank and State Bank of India into a single Regional Rural Bank called as “Pragathi Krishna Gramin Bank” under the sponsorship of the Canara Bank with its Head Office at “Bellary”.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), hereby directs that with effect from the 23rd August, 2013, the Pragathi Gramin Bank and the Krishna Grameena Bank, which by reason of amalgamation have ceased to function, shall stand dissolved and shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in Section 26 of the said Act.

[F. No.1/5/2011-RRB]
ARVIND KUMAR, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2013

का.आ. 3434(अ).—जबकि, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23क की उप-धारा (1) के तहत 02 सितम्बर, 2013 को वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2657(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने, क्रमशः भारतीय स्टेट बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया और देना बैंक द्वारा प्रायोजित छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का सम्मेलन करके **भारतीय स्टेट बैंक** के प्रायोजकत्व में एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नामतः '**छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक**', जिसका प्रधान कार्यालय 'रायपुर' में होगा, अधिसूचित किया है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, निदेश देती है कि 02 सितम्बर, 2013 से छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक, जो सम्मेलन के परिणामस्वरूप कार्य करना समाप्त कर चुके हैं, भंग हुए माने जाएंगे और यह उक्त अधिनियम की धारा 26 में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा।

[फा. सं. 7/9/2011-आरआरबी]
अरविन्द कुमार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2013

S.O. 3434(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services, number S.O. 2657(E), dated the 2nd September, 2013, issued under sub-section (1) of Section 23 A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government has notified for amalgamation of Chhattisgarh Gramin Bank, Surguja Kshetriya Gramin Bank and Durg Rajnandgaon Gramin Bank (Regional Rural Banks) sponsored by the State Bank of India, Central Bank of India and Dena Bank into a single Regional Rural Bank called as “Chhattisgarh Rajya Gramin Bank” under the sponsorship of the State Bank of India with its Head Office at “Raipur”.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), hereby directs that with effect from the 2nd September, 2013, the Chhattisgarh Gramin Bank, Surguja Kshetriya Gramin Bank and Durg Rajnandgaon Gramin Bank, which by reason of amalgamation have ceased to function, shall stand dissolved and shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in Section 26 of the said Act.

[F. No. 7/9/2011-RRB]
ARVIND KUMAR, Jt. Secy.